



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना-बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2007/00030

दर्ज तिथि:-12.12.2007

1. सुखराम पुत्र तेजाराम
2. किशनाराम पुत्र तेजाराम
जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, पटवार हल्का धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना
.....वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हुकमाराम
2. साजनराम पुत्र काछबाराम फौत के कायम मुकाम
2/1 नेनू पत्नी साजन
2/2 राजू पुत्र साजन
2/3 रामजीवण पुत्र साजन
2/4 किशना पुत्र साजन फौत के कायम मुकाम
2/4/1 लाडूराम पुत्र किशनाराम
2/4/2 शैतान पुत्र किशनाराम
2/4/3 सोमी पत्नी किशनाराम
3. जेताराम पुत्र कानाराम
4. हरीराम पुत्र कानाराम
5. श्रीराम पुत्र कानाराम
6. मंगला पुत्र काना फौत के वारिश्मान
6/1 मोहन पुत्र मंगला
6/2 मांगीलाल पुत्र मंगला
6/3 सुगणी बेवा मंगला
जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना
.....असल प्रतिवादीगण
7. व्यवस्थापक भूमि विकास बैंक धोरीमन्ना
8. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर
.....तकमिली प्रतिवादी


उपस्थित अधिकारी
वादी:-श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादी:-गंगाराम विश्नोई


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि०-1955
निर्णय तिथि:-18.03.2025

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत इस्तकराहक अन्तर्गत धारा-88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु विधि से शासित है जो मतवफी शेराराम की वारिश है। शेराराम के 2 पुत्र काछबाराम व मिसरीराम हुए। वक्त सैटलमेन्ट मूलग्राम धोरीमन्ना में शेराराम के समय की पैतृक आराजी मौजा नेडीनाडी पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा संख्या 285/19.7486 है०, का सैटलमेन्ट दर्ज हुआ। सैटलमेन्ट में पैतृक संपत्ति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा था तथा 1/2 हिस्सा मुगला,जगरूपा व पना का था जिनसे वादीगण व प्रतिवादीगण ने अलग-अलग हिस्सों में आराजी को क्रय करते हुए क्रयशुदा आराजी में हुकमा, साजन पि० काछबा ने 1/2 हिस्सा, कानाराम के वारिशों ने 1/4 हिस्सा तथा वादीगण के पिता तेजा ने 1/4 हिस्सा क्रय किया। जिससे वादीगण का 1/4 हिस्सा पैतृक व 1/8 हिस्सा खरीदशुदा होने से कुल 3/8 हिस्सा दर्ज किया जाना था लेकिन टंकणीय भूल से 1/4 हिस्सा ही दर्ज रहा। इसलिए वादीगण इसी अनुसार अपना 1/4 की जगह 3/8 हिस्सा घोषित करने के अधिकारी है।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 01 से 8 उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे के अनुसार खसरा संख्या 285 में वादीगण का पैतृक हिस्सा व खरीदशुदा हिस्सा को मिलाकर इस खसरें में 3/8 हिस्सा यादि 45-15 बीघा भूमि का वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पक्ष में राजीनामा अनुसार 5/8 हिस्सा घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादीगण उक्त 5/8 हिस्से में काछबा के 3 वारिशों के रूप में अपना-अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इसी अनुसार सभी का हिस्सा घोषित करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत कर सहमति पेश की है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है।
3. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी व प्रतिवादी को राजीनामा अनुसार खातेदार घोषित किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामा अनुसार हिस्सा घोषित करवाने पर अपनी लिखित सहमति के रूप में आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।
4. मैंने विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पेश राजीनामा अनुसार घोषणा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
7. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पत्ति पर


सहायक-कलक्टर
SDO धोरीमना

सुखराम बनाम हरिराम

2007/00030

मैनुअल नंबर 61/2015

निर्णय दिनांक: 18.03.2025

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय में वादी या प्रतिवादी राजीनामे के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के तहत ही अनुतोष इकरार कर सकते हैं। प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः दावा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 8 का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जरिये राजीनामा अनुसार उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 285/19.7486 है0 वाके ग्राम नेडीनाडी पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादीगण का 3/8 हिस्सा होने से वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 3/16 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 5/8 होने से प्रतिवादी संख्या 1 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 का 5/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2/4/1 से 2/4/3 का प्रत्येक का 5/288 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 5/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6/1 से 6/3 का 5/288 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरुस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।



निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 18.03.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)

सहायक फेलिक्टर
SDO धोरीमना

सुखराम बनाम हरिराम
2007/00030
मैन्युअल नंबर 61/2015
निर्णय दिनांक: 18.03.2025



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना-बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी - भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2007/00030

दर्ज तिथि:-12.12.2007

1. सुखराम पुत्र तेजाराम
2. किशनाराम पुत्र तेजाराम
जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, पटवार हल्का धोरीमन्ना, तहसील धोरीमन्ना
.....वादी

बनाम

1. हरीराम पुत्र हुकमाराम
2. साजनराम पुत्र काछबाराम फौत के कायम मुकाम
2/1 नेनू पत्नी साजन
2/2 राजू पुत्र साजन
2/3 रामजीवण पुत्र साजन
2/4 किशना पुत्र साजन फौत के कायम मुकाम
2/4/1 लाडूराम पुत्र किशनाराम
2/4/2 शैतान पुत्र किशनाराम
2/4/3 सोमी पत्नी किशनाराम
3. जेताराम पुत्र कानाराम
4. हरीराम पुत्र कानाराम
5. श्रीराम पुत्र कानाराम
6. मंगला पुत्र काना फौत के वारिशान
6/1 मोहन पुत्र मंगला
6/2 मांगीलाल पुत्र मंगला
6/3 सुगणी बेवा मंगला
जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी, धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना
.....असल प्रतिवादीगण
7. व्यवस्थापक भूमि विकास बैंक धोरीमन्ना
8. तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर
.....तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:-श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादी:-गंगाराम विश्नोई


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

सुखराम बनाम हरिराम
2007/00030
मैन्युअल नंबर 61/2015
निर्णय दिनांक: 18.03.2025
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

निर्णय दिनांक:-18.03.2025

-:पर्चा डिक्री:-

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहकक आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 285/19.7486 है0 वाके ग्राम नेडीनाडी पटवार हल्का नेडीनाडी तहसील धोरीमना में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादीगण का 3/8 हिस्सा होने से वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 3/16 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 5/8 होने से प्रतिवादी संख्या 1 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 का 5/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2/4/1 से 2/4/3 का प्रत्येक का 5/288 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 5/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6/1 से 6/3 का 5/288 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत राजस्व इंद्राज दुरुस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।



यह पर्चा-डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा-डिक्री आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(भागीरथराम आर.ए.एस)

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना